निगरानी कं /2015

न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष

निगरानी 1662-PBR-15

मिश्रीलाल पिता गोपाल गारी
आयु – 65 साल, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम–बगडी, धार, जिला– धार .....अपीलांट

1272/09-06-2015

श्री सुनील कौशल
प्रार्थी/अधिवक्ता द्वारा दिनांक 9/06/2015
को प्रस्तुत

विरूद्ध

भीमा पिता धन्ना पटलिया
आयु– साल, व्यवसाय– कृषि
निवासी– सोडपुर,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

प्रार्थी यह निगरानी श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, (राजस्व) धार के द्वारा राजस्व प्रकरण/76/अपील/2010–11 में दिनांक 30/04/15 को प्रार्थी की अपील में धारा 5 अवधि के विधान के आवेदन पर प पारित आदेश जिसके द्वारा उन्होंने प्रार्थी का धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अपील निरस्त की है, से असंतुष्ट होकर निम्न एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है:–

प्रकरण के तथ्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1662–अध्यक्ष/15 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–9–2015	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है । 2– अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील के संलग्न अवधि बाह्य की धारा 5 का आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि आवेदक द्वारा लगभग 26 वर्ष पश्चात् नामान्तरण पंजी कमांक 12 पर पारित आदेश दिनांक 4–12–1990 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है और अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दर्शाया गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपरोक्ष रूप से अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन निरस्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी का उक्त आदेश अंतिम प्रकृति का है, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि 26 वर्ष तक आवेदक को आदेश की जानकारी नहीं होना विश्वसनीय नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया विधि विपरीत प्रस्तुत होने से एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	